भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2739

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

2739. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण आवास अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कामगारों के लिए आजीविका से जुड़ी अन्य प्रशिक्षण पहलों के अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण सहित विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से ओडिशा में एवं विशेषकर कंधमाल जिले में नामांकन, प्रमाणीकरण और प्राप्त नियुक्तियों की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त प्रशिक्षण लक्ष्यों का प्रस्ताव रखा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम-विश्वकर्मा और आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कौशल संबद्ध ग्रामीण विकास पहलों के लिए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार के अनुकूल, परिणाम आधारित ढांचे में सतत आजीविका और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा, डिजिटल निगरानी प्रणाली और बैंकों और उद्योगों के साथ इनके समन्वय का उपयोग कर रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) जी, हाँ। मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत दो केंद्रीय प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-

जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) शामिल हैं। ये कार्यक्रम उड़ीसा राज्य सहित देश में ग्रामीण गरीब युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

I. <u>दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई):</u> डीडीयू-जीकेवाई गांव के गरीब युवाओं के लिए 15-35 वर्ष आयुवर्ग में नियोजन संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाता है और उन्हें नियमित श्रम बाजारों में भागीदारी के लिए सक्षम करता है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन या उससे अधिक के नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्राप्त होते हैं। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, निधियों का 50% हिस्सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत 15% अल्पसंख्यकों, 5% दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) और 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल पात्रता परिषद (एनएसक्यूसी), एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय पात्रता रजिस्टर या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

II. <u>ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई's):</u> आरएसईटीआई बैंक-नेतृत्व वाला और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिन्हें प्रायोजक बैंकों द्वारा उनके जिलों में स्थापित किया जाता है, ताकि कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और 'ग्रामीण गरीब' उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की लागत भी वहन करता है। 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोज़गार युवा, जो स्वरोज़गार या वेतन आधारित रोजगार प्राप्त करना चाहते हों, आरएसईटीआई में प्रशिक्षण ले सकते हैं। कुछ प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियमित वेतनभोगी नौकरियाँ/वेतन आधारित रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, अधिकांशतः आवासीय हैं, और वर्तमान में 70 राष्ट्रीय कौशल पात्रता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ़) से संरेखित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रमों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण आवास संरचना सुनिश्चित करने के लिए, आरएसईटीआई को निम्नलिखित अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय के माध्यम से रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है:

i. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, लाभार्थियों को आरएसईटीआई के माध्यम से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्ता पूर्ण ग्रामीण आवास के निर्माण के लिए आवश्यक व्यावहारिक राजमिस्त्री कौशल से सुसज्जित करना है। आरएसईटीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से आरएमटी लागू किया है, जिसके अंतर्गत कुल 91,650 उम्मीदवारों के लक्ष्य के सापेक्ष 8,048 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ii. मनरेगा योजना के लाभार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने, आय-सृजन गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुशल जनशक्ति की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई-स्वीकृत पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में, परियोजना उन्नति की शुरुआत मनरेगा योजना कार्यकर्ताओं के लिए की गई है, ताकि स्वयं-रोजगार या वेतन रोजगार के लिए कौशल प्रदान करके सबसे जरूरतमंद परिवारों की आजीविका में सुधार किया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के दो पात्र सदस्यों तक को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 से किसी भी वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत न्यूनतम 60 दिनों का कार्य पूर्ण किया हो।

परियोजना उन्नति का लक्ष्य और अवधि: परियोजना उन्नति को ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के समन्वय में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का संचालन 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है, और इसका लक्ष्य परियोजना अवधि के अंत तक 1.50 लाख मनरेगा लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वित्त वर्ष	योजना	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या
2022-23	डीडीयू-जीकेवाई/आरएसईटीआई/केवीके	16003
2023-24	डीडीयू-जीकेवाई/आरएसईटीआई/केवीके	26938
2024-25	डीडीयू-जीकेवाई/आरएसईटीआई/केवीके	26766

(ख) ओडिशा राज्य और विशेष रूप से कंधमाल जिला में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत नामांकित, प्रमाणित और नियोजित/स्थापित उम्मीदवारों का विवरण क्रमशः **अनुबंध-II (क) और (ख)** में क्रमशः दिया गया है।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत, मांग के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 में 9,519 अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया गया है, जिससे चालू वर्ष में आवंटित अतिरिक्त लक्ष्यों को शामिल करते हुए कुल लक्ष्य 2.42 लाख उम्मीदवारों तक पहुँच गया है।

आरएसईटीआई के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) के लिए 91,650 उम्मीदवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे समग्र आरएसईटीआई लक्ष्य वर्तमान वर्ष के आरएमटी लक्ष्यों को शामिल करते हुए 6.78 लाख उम्मीदवारों तक पहुँच गया है।

(घ) कौशल-संबंधित ग्रामीण विकास पहलों, जिनमें डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, पीएम-विश्वकर्मा और आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बजट आवंटन और व्यय की जानकारी **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ङ) डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत, इन योजनाओं की निगरानी एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जो एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसमें आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति, केंद्रों की जियोटैगिंग, ऑनलाइन निरीक्षण और सीसीटीवी निगरानी शामिल हैं। प्रदर्शन की नियमित समीक्षा बैठकों और ऑन-साइट निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है ताकि चुनौतियों की पहचान की जा सके और समग्र सेवा वितरण को सुदृढ़ किया जा सके।

इसके अलावा, आरएसईटीआई बैंक और उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं ताकि सतत आजीविका और गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा सके। कौशल प्रशिक्षण को क्षेत्र की वास्तविक मांग के साथ जोड़ा जाता है, जिसे व्यवहार्य सूक्ष्म-उद्यमों के लिए समय पर ऋण द्वारा सहायता की जाती है, और उद्योग पाठ्यक्रम तथा बाजार पहुँच के अनुरूप रखा जाता है। बैंक ऋण परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग तकनीक और गुणवत्ता मानक योगदान करते हैं, जिससे एक समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होता है जहाँ प्रशिक्षण, वित्त और बाजार लिंकेज मिलकर उद्यम सृजन, आय में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण संपत्तियाँ और दीर्घकालिक आजीविका की स्थिरता जैसे मापने योग्य परिणाम उत्पन्न होते हैं।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसक्यूएफ के अनुरूप आरएसईटीआई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची:

क्र.सं.	ईडीपी प्रकार	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम का कोड	श्रेणी (I/II/III)	अवधि (घंटे)	अवधि (दिन)
1	कृषि ईडीपी	रेशम कोश उत्पादक उद्यमी	एनएआरक्यू 30005	II	80	10
2		डेयरी फार्मिंग और वर्मी कम्पोस्ट बनाना	एनएआरक्यू 30006	I	80	10
3		व्यावसायिक बागवानी	एनएआरक्यू 30017	I	104	13
4		कृषि उद्यमी	एनएआरक्यू 30021	II	104	13
5		भेड़ पालन	एनएआरक्यू 30024	II	80	10
6		मुर्गी पालन	एनएआरक्यू 30027	I	80	10
7		बकरी पालन	एनएआरक्यू 30029	II	80	10
8		औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती	एनएआरक्यू 30030	II	80	10
9		रबर टैपिंग और प्रोसेसिंग	एनएआरक्यू 30031	II	80	10
10		सुअर पालन	एनएआरक्यू 30039	II	80	10
11		फूलों की व्यावसायिक खेती	एनएआरक्यू 30041	II	80	10
12		सब्जी नर्सरी प्रबंधन और खेती	एनएआरक्यू 30043	II	80	10
13		मधुमक्खी पालन	एनएआरक्यू 30044	II	80	10
14		मशरूम की खेती	एनएआरक्यू 30047	II	80	10
15		बागवानी और लैंडस्केपिंग	एनएआरक्यू 30049	II	80	10
16		पॉली हाउस और शेड नेट फार्मिंग	एनएआरक्यू 30051	II	80	10
17		मछली पालन	एनएआरक्यू	II	80	10

			30059			
18		मत्स्य मित्र	एनएआरक्यू 50001	I	480	60
19		पशु मित्र	एनएआरक्यू 50002	I	480	60
20	सामान्य ईडीपी	बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर	एनएआरक्यू 30037	III	80	10
21		ऋण वसूली एजेंट	एनएआरक्यू 30038	III	104	13
22		सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	एनएआरक्यू 40001	III	104	13
23		किराना दुकान	एनएआरक्यू 30058	III	48	6
24		दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ईडीपी	एनएआरक्यू 40060	III	80	10
25		बैंक मित्र	एनएआरक्यू 40061	III	48	6
26		सामान्य ईडीपी	एनएआरक्यू 40062	III	48	6
27		एफएलसीआरपी के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएआरक्यू 40063	III	48	6
28		उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति	एनएआरक्यू 50003	III	250	32
29	प्रसंस्करण ईडीपी	फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी	एनएआरक्यू 30032	II	80	10
30		यात्रा और पर्यटक गाइड	एनएआरक्यू 30046	III	80	10
31		गृह कार्य सहायक	एनएआरक्यू 30050	II	104	13
32		फोटो फ्रेमिंग, लेमिनेशन और स्क्रीन प्रिंटिंग	एनएआरक्यू 30054	I	80	10
33		राजमिस्त्री और कंक्रीट संबंधी कार्य	एनएआरक्यू 30055	I	240	30
34		सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म और स्मोक डिटेक्टर की इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग	एनएआरक्यू 30056	I	104	13
35		फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी	एनएआरक्यू 40002	I	240	30
36		सेल फोन रिपेयर और सर्विस	एनएआरक्यू 40003	I	240	30
37		ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट	एनएआरक्यू	I	240	30

			40007			
38		वेल्डिंग और फैब्रिकेशन	एनएआरक्यू 40009	I	240	30
39		इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग और रिपेयर सेवाएं	एनएआरक्यू 40012	I	240	30
40		टू-व्हीलर मैकेनिक	एनएआरक्यू 40014	I	240	30
41		एलएमवी ड्राइवर	एनएआरक्यू 40015	I	240	30
42		घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी	एनएआरक्यू 40016	I	240	30
43		हाउस वायरिंग	एनएआरक्यू 40018	I	240	30
44		पुरुषों का पार्लर और सैलून उद्यमी	एनएआरक्यू 40019	I	240	30
45		टीवी टेक्नीशियन	एनएआरक्यू 40020	I	240	30
46		कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग	एनएआरक्यू 40025	I	240	30
47		डेस्कटॉप पब्लिशिंग	एनएआरक्यू 40034	I	360	45
48		कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग	एनएआरक्यू 40035	I	360	45
49		प्लंबिंग और सैनिटरी कार्य	एनएआरक्यू 40040	I	240	30
50		रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग	एनएआरक्यू 40042	I	240	30
51		एल्यूमीनियम फैब्रिकेशन	एनएआरक्यू 40052	I	240	30
52		यूपीएस और बैटरी बनाना और सर्विसिंग	एनएआरक्यू 40053	I	240	30
53		बढ़ई	एनएआरक्यू 40057	I	240	30
54	उत्पाद ईडीपी	घर पर अगरबत्ती बनाना	एनएआरक्यू 30004	II	80	10
55		पेपर कवर, लिफाफे और फाइल बनाना	एनएआरक्यू 30008	II	80	10
56		खिलौने बनाना और बेचना	एनएआरक्यू 30023	I	104	13
57		जूट उत्पाद उद्यमी	एनएआरक्यू 30026	I	104	13
58		पापड़, अचार और मसाला पाउडर	एनएआरक्यू	II	80	10

			30028			
59		बांस और बेंत शिल्प बनाना	एनएआरक्यू 30048	I	104	13
60		पुरुषों का दर्जी	एनएआरक्यू 40010	I	240	30
61		वस्त्र चित्र कला उद्यमी (कढ़ाई और फैब्रिक पेंटिंग)	एनएआरक्यू 40011	I	240	30
62		कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी	एनएआरक्यू 40013	I	104	13
63		महिलाओं का दर्जी	एनएआरक्यू 40033	I	240	30
64		मोमबत्ती बनाना	एनएआरक्यू 40036	II	80	10
65	खाद्य प्रसंस्करण	केक और पेस्ट्री, बेकरी उत्पाद/बेकिंग टेक्नीशियन	एफआईसी/Q5005B	III	300	37
66	खाद्य प्रसंस्करण	दूध उत्पाद और आइसक्रीम बनाना	डेयरी/पी/	IV	300	37
67	नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन	नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन/बायो गैस प्लांट/बायो स्लरी टेक्नीशियन	एसजीजे/क्यू4008	III	450	56
68	ऑटोमोटिव	इलेक्ट्रिक वाहन मरम्मत और रखरखाव	एएसडीसी	II	300	37.5
69	स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण	बुजुर्गों की देखभाल विशेषज्ञता	एचएसएस/क्यू6001	IV	720	90
70	खाद्य प्रसंस्करण	नारियल उत्पाद के लिए वैल्यू एडिशन, नारियल तेल निकालना, कॉयर उत्पाद आदि।	एफआईसीएसआई	III	240	30

अनुबंध-II (क)

लोकसभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (11.12.2025 तक) के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत ओडिशा राज्य और कंधमाल जिले में नामांकित, प्रमाणित और नियोजित अभ्यर्थी:

राज्य/जिला	वित्तीय वर्ष	नामांकित	प्रमाणित	नियोजित
ओडिशा	2022-23	12266	15186	13533
	2023-24	2803	3244	5382
	2024-25	2336	661	1206
	2025-26	3731	2441	546
कंधमाल	2022-23	352	503	399
	2023-24	178	199	225
	2024-25	166	64	54
	2025-26	134	173	41

स्रोत: ओडिशा राज्य सरकार

अनुबंध-II(ख)

लोकसभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान आरएसईटीआई के तहत ओडिशा राज्य और कंधमाल जिले में नामांकित, प्रमाणित और नियोजित अभ्यर्थी:

राज्य/जिला	वित्तीय वर्ष	नामांकित	प्रमाणित	नियोजित
ओडिशा	2022-23	20766	16627	17486
	2023-24	22056	17493	19544
	2024-25	30046	23223	24998
	2025-26	14903	10819	12646
कंधमाल	2022-23	675	638	567
	2023-24	710	547	647
	2024-25	995	785	908
	2025-26	634	443	526

स्रोत: एनएसीईआर

अनुबंध-III

लोकसभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कौशल-आधारित ग्रामीण विकास पहलों के तहत आवंटित निधि और किया गया व्यय:

(₹ लाख में)

योजना	**डीडीयू-जीकेवाई**		**आरएसईटीआई**	
वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधि**	**जारी निधि**	**आवंटित निधि**	**जारी निधि**
2022-23	9405.05	9283.83	25000.00	20415.00
2023-24	38370.58	23387.41	23215.50	21050.00
2024-25	50000.00	37498.80	25000.00	24840.62
2025-26 (नवंबर 2025 तक)	75000.00	20222.03	30000.00	8515.92

एमएसएमई की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, दिनांक 17.09.2023 को योजना की शुरुआत से, वर्ष-वार बजट आवंटन और व्यय इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**योजना के तहत कुल बजट आवंटन (रु करोड़ में)**	**योजना के तहत कु व्यय (रु करोड़ में)**	**कौशल उन्नयन घटक के तहत व्यय (रु करोड़ में)**
2023-24	753.1168	745.9197	2,42.31
2024-25	3,993.78	3,993.10	1,384.44
2025-26 (दिनांक 12.12.2025 तक)	5,100	2,250.3869	923

स्रोत: एमएसएमई

*****